



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2023]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 2023]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का. आ. 2281(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के तहत गठित प्राधिकरण 'नोएडा विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण' नोएडा को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्

- (क) लीज किराया (सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर के अनुसार प्रभारित)
- (ख) मियादी जमाओं (एफ.डी.आर.) पर बैंकों से ब्याज
- (ग) आई-कार्ड और परमिट फीस से प्राप्तियाँ
- (घ) मानक डिजाइन फैक्टरी (एस.डी.एफ.) के संबंध में आबंटन फीस
- (ङ) खाली प्लॉटों/बिल्डिंगों के संबंध में नीलामी/बिड राशि
- (च) प्लॉट/बिल्डिंग के संबंध में अंतरण प्रभार
- (छ) बिल्डिंग प्लानों की छूट के लिए फार्म-I को जारी करने के लिए फीस
- (ज) बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के लिए प्रोसेसिंग फीस

- (झ) सेवा प्रदायकों से स्थल प्रयोग प्रभार; और
- (ञ) स्टाफ को स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन के लिए लाइसेंस फीस,

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि नोएडा विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, नोएडा :-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करे।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-18 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 70 /2017, फा. सं. 196/30/2013-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है।